संख्या- 283 /एक-10-2022

प्रेषक,

रणवीर प्रसाद,

सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

गौतमबुद्धनगर, शामली, हापुड़, आगरा, गाजीपुर तथा बरेली।

राजस्व अनुभाग-10 लखनऊः दिनांक- // फरवरी, 2022

विषयः- कोविड-19 के संक्रमण से मृत व्यक्तियों के परिजनों (Next of Kin of the deceased) को रू0 50,000/- प्रति मृतक अनुग्रह सहायता दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राजस्व अनुभाग-11 के शासनादेश संख्या-जी0आई0 105/एक-11-2021-5 (जी)/2021, दिनांक 23.10.2021 में दिए गए निर्देशों तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दि0 22.11.2021 के अनुपालन में कोविड 19 से मृत व्यक्तियों के परिवारीजन को रू0 50,000/- की अनुग्रह सहायता प्रदान किये जाने हेतु राजस्व अनुभाग-10 के शासनादेश संख्या- 1893/1-10-2021-33(12)/2021 दिनांक 24.11.2021 तथा शासनादेश संख्या- 1928/1-10-2021-33(12)/2021 दिनांक 01.12.2021 द्वारा जनपदों को आवंटित धनराशि के अतिरिक्त जनपदों द्वारा किए गए अनुरोध के दृष्टिगत कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के परिवारीजन को रू0 50,000/- की अनुग्रह सहायता प्रदान किये जाने हेतु निम्न् विवरण/शर्तों के अधीन कुल **रू0 3,19,00,000/- (रू0 तीन करोड़ उन्नीस लाख मात्र)** की अतिरिक्त धनराशि सम्बन्धित जिलाधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0सं0	जनपद का नाम	प्रस्तावित आवंटन
1	2	3
1	गौतमबुद्धनगर	65.00
2	शामली	50.00
3	हापुड़	85.00
4	आगरा	4.00
5	गाजीपुर	65.00
6	बरेली	50.00
	योग	**319.00**

(रू0 तीन करोड़ उन्नीस लाख मात्र)

(1) उपरोक्तानुसार सम्बन्धित जिलाधिकारी अनुग्रह धनराशि सम्बन्धित मृतक के विधिक उत्तराधिकारी के बैंक खाते में तत्काल स्थानान्तरित करेंगें।

(2) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये।

(3) समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2022 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2022 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।

(4) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाये तथा माह के अंत में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और मदवार मासिक व्यय

विवरण निर्धारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत की वेबसाइट https://rahat.up.nic.in पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाये।

(5) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं0-2/1-11-2013-रा0-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा।

(6) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।

(7) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

(8) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वितीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

4- उपरोक्तानुसार स्वीकृत **धनराशि रू0 रू0 3,19,00,000/- (रू0 तीन करोड़ उन्नीस लाख मात्र)** वर्तमान वितीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-51 के अंतर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपति के कारण राहत 05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड 800-अन्य व्यय 06-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय 11-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से सामान्य व्यय 42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(रणवीर प्रसाद)
सचिव।

संख्या-263 (1)/एक-10-2022, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार प्रथमआडिट प्रथम/, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- प्रधान सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली।
3- मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0।
4- अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन ।
5- प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
6- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
7- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
8- सम्बन्धित मण्डलायुक्त।
9- वरिष्ठ वित एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।
10- नोडल अधिकारी, राजस्व अनुभाग-10 (बजट आवंटन(, उ0प्र0 शासन।
11- सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी /मुख्य कोषाधिकारी/।
12- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण, लखनऊ।
13- वित -अनुभाग (नियंत्रण-व्यय)5।
14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2021-2022
आवंटन दिनांक-14/02/2022

प्रेषण संख्या:- 263
आवंटन आदेश संख्या:- 201-2021-2022
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 -
11 - स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से सामान्य व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	आगरा-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	400000 25700000	400000 25700000
2	बरेली-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 30000000	5000000 30000000
3	गाज़ीपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	6500000 17500000	6500000 17500000
4	गौतमबुद्ध नगर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	6500000 17550000	6500000 17550000
5	हापुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	8500000 13500000	8500000 13500000
6	शामली-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 10000000	5000000 10000000
	योग	वर्तमान प्रगामी	31900000 114250000	31900000 114250000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया तीन करोड़ उनीस लाख
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया ग्यारह करोड़ बयालीस लाख पचास हजार

(अखिलेश प्रताप सिंह)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
(अखिलेश प्रताप सिंह)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त कार्यालय
उ० प्र० शासन।